न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए आरक्षण पहले की तरह लागू होने तक स्थानीय निकायों के कोई चुनाव नहीं होंगे

- हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की **अंतरिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया।** महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस **अंतरिम रिपोर्ट** के माध्यम से स्थानीय निकायों में OBCs के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश की थी।
- इससे पहले **दिसंबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में OBCs के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी।** इस रोक के पीछे कारण यह था कि राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनिवार्य "ट्रिपल–टेस्ट (तिहरा परीक्षण)" निर्देश का पालन नहीं किया था।

  - इसके बाद, **राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट** से अपने पास पहले से उपलब्ध जानकारी/डेटा के आधार पर **शेष चुनाव कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।**
  - उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने **राज्य सरकार से डेटा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने** का आदेश दिया। अब इस आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।
- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल–टेस्ट' में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में OBCs के लिए **पिछड़ेपन की प्रकृति और इसके पहलुओं** की समसामयिक आधार पर कड़ाई से जाँच करना। इसे **अनुभवजन्य जाँच** (empirical inquiry) कहा जाता है। यह कार्य एक समर्पित आयोग का गठन करके पूरा करना होता है।
  - इसके बाद आयोग की सिफारिशों के आधार पर अलग–अलग स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए **अनिवार्य आरक्षण के अनुपात** को निर्धारित किया जाता है।
  - साथ ही, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित **सीट, कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- स्थानीय निकायों में OBCs के लिए 27% **आरक्षण** के प्रावधान को ख़ारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2010 के **कृष्ण मूर्ति वाद** पर आधारित है। यह केस (या वाद) स्थानीय निकायों में आरक्षण के मुद्दे से संबंधित था।

- भारत के संविधान के तहत, स्थानीय स्तर पर OBCs **को आरक्षण प्रदान करना एक स्वैच्छिक (विवेकाधीन या वैकल्पिक)** प्रावधान है। इसके विपरीत संविधान, **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए** सीटों को **अनिवार्य (बाध्यकारी)** रूप से आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने "रोगाणुरोधी प्रतिरोध के पर्यावरणीय आयाम" (Environmental Dimensions of Antimicrobial Resistance: AMR) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है

- **किसी सूक्ष्मजीव** (जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कुछ परजीवी) की **किसी रोगाणुरोधी दवाओं** (जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीमलेरियल) को **स्वयं के विरुद्ध काम करने से रोकने की क्षमता** को AMR कहते हैं।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - AMR के कारण से वर्ष 2050 तक **प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों की मौत** हो सकती है।
  - वर्ष 2030 तक, AMR की वजह से **सकल घरेलू उत्पाद में प्रति वर्ष 3.4 ट्रिलियन डॉलर की कमी** आ सकती है। साथ ही, **अतिरिक्त 2.4 करोड़ लोग चरम निर्धनता की श्रेणी** में धकेले जा सकते हैं।
- **AMR के प्रमुख स्रोत:**
  - **स्वच्छता का निम्नस्तर, सीवेज और अपशिष्ट प्रवाह:** कचरे के खुले ढेर से होने वाला रिसाव और शहरी अपशिष्ट प्रवाह आदि।
  - **दवा विनिर्माण इकाइयों से होने वाला बहि:स्राव (Effluent) और संबंधित अपशिष्ट।**
  - **स्वास्थ्य केंद्रों से होने वाला बहि:स्राव और संबंधित अपशिष्ट:** अस्पताल के कचरे में मौजूद रोगाणुरोधी उत्पाद और अपशिष्ट, प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव आदि।
  - **फसल उत्पादन में रोगाणुरोधी और खाद का उपयोग:** कवकनाशी, शाकनाशी, भारी धातुओं और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, अनुपचारित खाद और अपशिष्ट जल आदि।
  - **पशुपालन से होने वाला बहि:स्राव और अपशिष्ट:** अप्रयुक्त दवाओं का अनुचित निपटान, जलीय कृषि में एंटीबायोटिक का उपयोग आदि।
- **इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव:**
  - पर्यावरण गवर्नेंस, योजना और विनियामक ढांचे में सुधार करना।
  - प्राथमिकता के आधार पर AMR से संबंधित प्रदूषकों की पहचान कर उन्हें लक्षित करना।
  - रिपोर्टिंग, सर्विलांस और निगरानी में सुधार करना।
  - वित्तपोषण, नवाचार और क्षमता विकास को प्राथमिकता देना।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मिजोरम में "कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट" (KMMTTP) की प्रगति की समीक्षा की

- कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KMMTTP को वर्ष 2008 में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित सित्तवे बंदरगाह** से होते हुए **कोलकाता से जोड़ना** है।
  - इस परियोजना का पहला खंड, **पश्चिम बंगाल से शुरू** होते हुए 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर **सित्तवे बंदरगाह** तक जाता है।
  - इसका दूसरा खंड, **सितवे बंदरगाह से पलेटवा** को जोड़ने वाला **कलादान नदी जलमार्ग** है।
  - इसके तीसरे खंड में एक **सड़क मार्ग** शामिल है, जो **पलेटवा (म्यांमार)** को **जोरिनपुई (मिजोरम, भारत)** से जोड़ता है।
- मूल रूप से वर्ष 2014 में ही इस परियोजना को पूरा हो जाना था, लेकिन अब इसे **वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य** रखा गया है।
- KMMTTP **का महत्व:**
  - यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए **महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करती है।
    - इससे संकीर्ण **सिलीगुड़ी गलियारा** (जिसे "चिकन नेक" भी कहा जाता है) पर दबाव कम होगा।
  - यह **पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच की दूरी को काफी कम** करता है।
  - यह **"एक्ट ईस्ट नीति"** के उद्देश्यों के अनुरूप म्यांमार के माध्यम से **दक्षिण–पूर्व एशिया तक भारत की पहुँच** सुगम बनाता है।
  - यह **भारत और म्यांमार** के बीच **आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा** देगा।

रक्षा मंत्रालय ने इंडिया इंक को लाइट टैंक, ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल जैसे रक्षा उपकरण बनाने के लिए मंजूरी दी

- रक्षा मंत्रालय ने **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया** (Defence Acquisition Procedure: DAP), **2020 की 'मेक–I' और 'मेक–II' श्रेणियों के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी** प्रदान की है।
  - पूंजीगत अधिग्रहण के मामले में **'मेक' श्रेणी**, मेक इन इंडिया पहल की आधारशिला है। यह सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण पर बल देती है।
  - **'मेक–I' सरकार द्वारा वित्त पोषित** परियोजनाओं से संबंधित है। **'मेक–II ' उद्योग द्वारा वित्त पोषित** परियोजनाओं से संबंधित है।
- DAP, **2020** की शुरुआत के बाद से यह **पहली बार है, जब भारतीय उद्योग को लाइट टैंक और संचार उपकरण** जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों के विकास की अनुमति दी गयी है।
- DAP, **2020 के बारे में:**
  - विभिन्न श्रेणियों जैसे कि **बाय (इंडियन–IDDM), मेक I, मेक II** आदि के तहत **भारतीय विक्रेताओं को आरक्षण** प्रदान किया गया है। (IDDM का आशय है– स्वदेशी स्तर पर डिजाइन, विकसित और विनिर्मित)
  - **इसमें निम्नलिखित शामिल है:**
    - इसके तहत स्वदेशी सामग्रियों (Indigenous Content) को बढ़ावा दिया गया है (इन्फोग्राफिक देखें),
    - स्वदेशी उपकरणों के सत्यापन के लिए सरल प्रक्रिया आरंभ की गयी है,
    - स्वदेशी सैन्य सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, आदि।
  - रक्षा खरीद या अधिग्रहण के लिए **"पट्टे पर लेना" (यानी लीजिंग)** नामक **एक नई श्रेणी** आरंभ की गयी है। यह शुरू में ही बहुत अधिक पूंजी खर्च करने के बजाय परिसम्पतियों को **किराये पर लेने का विकल्प प्रदान करती है।**
  - **रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए बेहतर ऑफसेट नीति** का प्रावधान किया गया है।
    - **ऑफसेट नीति:** इसके तहत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे **कॉन्ट्रैक्ट की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत भारत में खर्च करेंगी।** यह भारत की कंपनियों से उपकरणों की खरीद, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण आदि के माध्यम से किया जाएगा।

स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता में समग्र वृद्धि

श्रेणी	DPP, 2016	DAP, 2020
बाय (इंडियन–IDDM)	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 50%
बाय (इंडियन)	न्यूनतम 40%	स्वदेशी डिजाइन– न्यूनतम 40% अन्यथा– न्यूनतम 60%
बाय एंड मेक (इंडियन)	निर्माण (मेक) का न्यूनतम 50%	निर्माण का न्यूनतम 50%
बाय एंड मेक	—	खरीद और निर्माण का न्यूनतम 50%
बाय (ग्लोबल – मैन्युफैक्चर इन इंडिया)	—	न्यूनतम 50%
बाय (ग्लोबल)	—	भारतीय विक्रेताओं के लिए न्यूनतम 30%

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के नए प्रमुख ने एक व्यापक सीमा–पार इन्सॉल्वेंसी ढांचे पर बल दिया है

- **सीमा–पार इन्सॉल्वेंसी** उन परिस्थितियों को दर्शाती है, जिसमें एक दिवालिया देनदार (ऋणी) की **एक से अधिक देशों में परिसंपत्तियां या लेनदार** होते हैं।
  - वर्तमान में, **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड** (IBC), 2016 के प्रावधान, **द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से** सीमा–पार इन्सॉल्वेंसी के मामलों का निपटान करते हैं। इसके लिए निर्णायक प्राधिकरण, IBC **की धारा 234 और धारा 235 के तहत** विदेशी अदालतों को अनुरोध पत्र जारी करते हैं।
  - **इन्सॉल्वेंसी लॉ कमिटी** (ILC) ने यह पाया है कि **यह प्रक्रिया एक तदर्थ (एड–हॉक) ढांचा है।** इसके चलते लेनदारों, देनदारों और अदालतों को **देरी और अनिश्चितता** का सामना करना पड़ता है।
  - इसके परिणामस्वरूप, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** ने IBC के तहत सीमा–पार इन्सॉल्वेंसी के लिए **कानूनी उपाय का एक प्रस्ताव** रखा है। हालांकि, इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
- **सीमा–पार इन्सॉल्वेंसी ढांचे का महत्व:**
  - यह सीमा–पार दिवालियापन की कार्यवाही के लिए एक **मजबूत व सिद्धांत–आधारित ढांचा प्रदान करेगा।** इसके द्वारा भारतीय और विदेशी हितधारक, अपनी समस्याओं को तेजी एवं कुशलता से हल करने में सक्षम होंगे।
  - इसे वैश्विक निवेशकों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक **प्रगतिशील और दूरदर्शिता आधारित बाजार सुधार** के रूप में देखा जाएगा।
  - इसके द्वारा **भारतीय कार्यवाहियों की पहुँच और मान्यता** उन अधिकार क्षेत्रों में सुगम होगी, जो पहले से ही ऐसे मॉडल कानून को अपना चुके हैं।
  - भारतीय व्यवसायों द्वारा **विश्व में अपने कारोबार के विस्तार और वित्तीय बाजार से संबंधों में वृद्धि के कारण** इसकी आवश्यकता महसूस की गई है।

VISION IAS

अन्य सुर्खियाँ

सुरक्षा आश्वासन पर "बुडापेस्ट मेमोरेंडम" (Budapest Memorandum on Security Assurance)

- **रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन** द्वारा आपसी संवाद के बाद **वर्ष 1994** में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके तहत, **यूक्रेन, सोवियत संघ से विरासत में प्राप्त परमाणु हथियारों को त्यागने के लिए सहमत हुआ था। इसी संदर्भ में, सभी परमाणु हथियारों को डी–कमिशनिंग** के लिए रूस में स्थानांतरित कर दिया गया था। (डी–कमिशनिंग का अर्थ है– परमाणु रिएक्टर या हथियार को निष्क्रिय बनाना और इसे सुरक्षित रूप से नष्ट करना)
- यूक्रेन को परमाणु हथियारों को त्यागने के बदले में अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के प्रति सम्मान की गारंटी प्राप्त हुई। इसके लिए उसे हस्ताक्षरकर्ता देशों से राजनीतिक रूप से बाध्यकारी एक सुरक्षा आश्वासन प्राप्त हुआ था। यह सुरक्षा आश्वासन यूक्रेन को उसकी मौजूदा सीमाओं की गारंटी प्रदान करता है।
- हालांकि, **इस सुरक्षा आश्वासन का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया था।**
- हाल ही में, रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को **बुडापेस्ट मेमोरेंडम के प्रत्यक्ष उल्लंघन** के रूप में देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)

- भारत ने UNHRC के **वर्तमान सत्र** के दौरान यूक्रेन में लोगों के **मानवाधिकारों के सम्मान और संरक्षण का आह्वान किया है।**
- इस सत्र का आयोजन यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति के संदर्भ में किया गया था। इस दौरान भारत ने यूक्रेन में हिंसा की "तत्काल समाप्ति" का आग्रह किया है।
- UNHRC, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक **अंतर–सरकारी निकाय** है। इसमें **47 देश शामिल हैं।** यह विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
  - सदस्य देशों का निर्वाचन **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा किया जाता है। भारत, UNHRC में **वर्ष 2022–24 के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है।**
  - UNHRC का गठन **वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक रेजोल्यूशन (संकल्प)** द्वारा किया गया था।
  - यह **संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय** में अपने सत्र आयोजित करता है।

क्वाड (Quad)

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने क्वाड नेताओं के एक **वर्चुअल शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।
- इस शिखर सम्मेलन में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में **मानवीय सहायता** के लिए **एक नए तंत्र की घोषणा की गई।** साथ ही, यूक्रेन संकट के इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के सन्दर्भ में चर्चा की गई।
- क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं– **यू.एस.ए, भारत, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान।**
  - क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक **नियम–आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता** और **एक उदार व्यापार प्रणाली** को सुरक्षित करना है।

युद्ध अपराध (War crimes)

- **इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट** (ICC) ने यूक्रेन में संभावित **युद्ध अपराधों** की जांच शुरू करने की घोषणा की है।
- **युद्ध अपराधों के बारे में:**
  - यह किसी **युद्ध या संघर्ष के दौरान मानवीय कानूनों का एक गंभीर उल्लंघन है** (वर्ष 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से उत्पन्न)।
  - **उदाहरण:** बंधक बनाना, जानबूझकर हत्याएं करना, बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर करना आदि।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून निम्नलिखित **तीन सिद्धांतों** के आधार पर यह तय करते हैं कि किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है या नहीं:
    - **आनुपातिकता** (Proportionality): यह सेनाओं को हमले का जवाब देते समय आवश्यकता से अधिक हिंसा करने से रोकता है।
    - **एहतियात** (Precaution): इसके तहत युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को नागरिक आबादी को नुकसान से **बचाने या नुकसान को न्यूनतम करने** की आवश्यकता होती है।
    - **अंतर** (Distinction): **यह सामान्य नागरिकों तथा युद्धरत लोगों** और वस्तुओं के बीच अंतर से संबंधित है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

AIIB | ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK

- यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष को देखते हुए AIIB ने **रूस** और **बेलारूस** से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  - इस कदम का उद्देश्य रूस पर लक्षित व्यापक प्रतिबंधों और वित्तीय उपायों के बीच AIIB **की वित्तीय अखंडता की रक्षा** करना है।
- AIIB, एशिया में सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार करने के लिए स्थापित एक **बहुपक्षीय विकास बैंक** है।
  - AIIB की **स्थापना वर्ष 2015** में हुई थी। इसका **मुख्यालय बीजिंग** में है।
- भारत, AIIB का **एक संस्थापक सदस्य** और **दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक** है। भारत का इसमें 7.6 प्रतिशत वोटिंग शेयर है। **चीन** के पास AIIB का सर्वाधिक 26.5 प्रतिशत वोटिंग शेयर है।
  - **रूस, AIIB का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।**

सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

- हाल ही में, **स्थायी सिंधु आयोग** (Permanent Indus Commission: PIC) **की 117वीं बैठक** संपन्न हुई।
  - स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की स्थापना, सिंधु जल संधि (IWT) की उल्लेखनीय विशेषता है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच IWT पर **हस्ताक्षर वर्ष 1960** में किए गए थे। **विश्व बैंक भी इस संधि में एक हस्ताक्षरकर्ता है।**
- इसके तहत **तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास** और **सतलुज** का जल विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया है।
- वहीं **पश्चिमी नदियों, अर्थात् सिंधु, चिनाब** और **झेलम** का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि, इन पश्चिमी नदियों के मामले में भारत को कृषि, नौवहन, घरेलू उपयोग जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा, भारत को नदी परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी दिया गया है।

जम्मू–कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों की संशोधित योजना (Revised Scheme of Village Defence Groups (VDGs) in J–K)

- गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में **ग्राम रक्षा समूहों** (VDGs) के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
- ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को **ग्राम रक्षा गार्ड** के रूप में नामित किया जाएगा। वे संबंधित जिले के SP/SSP **के निर्देशन** में कार्य करेंगे।
- ग्राम रक्षा समूहों को पहले **ग्राम रक्षा समितियों** (Village Defence Committees: VDCs) के रूप में जाना जाता था।
  - 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम के दौरान, जम्मू और कश्मीर में 4,125 VDCs मौजूद थे।
  - VDCs **आतंकवाद–रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता** करने, शत्रुओं (या शत्रुतापूर्ण तत्वों) पर निगरानी बनाए रखने और शांति बनाए रखने हेतु सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्त्री मनोरक्षा परियोजना (Stree Manoraksha Project)

- इसे **महिला और बाल विकास मंत्रालय** (MoWCD) **द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान** (NIMHANS) के सहयोग से शुरू किया गया था।
  - NIMHANS, **मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान** के क्षेत्र में रोगी की देखभाल और शैक्षणिक खोज के लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- इसका उद्देश्य पूरे **भारत में 6,000 वन–स्टॉप सेंटर** (OSC) कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - वन–स्टॉप सेंटर (OSC) योजना (MoWCD द्वारा) वर्ष 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना **निजी और सार्वजनिक** दोनों स्थानों पर **हिंसा से प्रभावित महिलाओं** को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करती है।
  - ये सेंटर महिलाओं को **चिकित्सा, कानूनी** और **अपराध** से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU)

- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ** (ITU) के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए **होस्ट कंट्री एग्रीमेंट** (HCA) **पर हस्ताक्षर** किए हैं।
  - इस क्षेत्रीय कार्यालय से दक्षिण एशिया में **दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन** मिलने की उम्मीद है।
- ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए **संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी** है। इसमें सदस्य के रूप में विभिन्न देशों के साथ–साथ **विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं।**
- ITU की **स्थापना वर्ष 1865** में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य **संचार नेटवर्क के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी** को सुगम बनाना है।
- ITU, **वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं** (satellite orbits) **का आवंटन करता है।** यह तकनीकी मानकों का विकास करता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क और प्रौद्योगिकी बिना किसी बाधा के परस्पर जुड़े रहें। साथ ही, यह **विश्व भर में अल्पसेवित समुदायों के लिए ICTs तक पहुँच** में सुधार करने का प्रयास करता है।

सारस 3 रेडियो दूरबीन (SARAS 3 radio telescope)

- **सारस 3 रेडियो** का आविष्कार और निर्माण भारत में स्वदेशी रूप से किया गया है। इस दूरबीन का प्रयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं ने **कॉस्मिक डॉन** (ब्रह्माण्ड का उद्भव) से **रेडियो तरंग सिग्नल की खोज** के हालिया दावे (वर्ष 2018) का **खंडन किया है।**
  - कॉस्मिक डॉन **ब्रह्मांड की आरंभिक अवस्था** का संदर्भित करता है, **जब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई थीं।**
- **सारस 3 (शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम) रेडियो दूरबीन के बारे में:**
  - यह कॉस्मिक डॉन से अत्यंत कमजोर रेडियो तरंग संकेतों का पता लगाने के लिए एक **सटीक रेडियो टेलीस्कोप** है।
  - सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप **जरूरी सूक्ष्म–ग्राहिता** (required sensitivity) तक पहुंचने वाला विश्व का पहला टेलीस्कोप है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

जपोरिजिया परमाणु संयंत्र (Zaporizhzhya Nuclear Plant)

- यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि **रूसी सेना ने जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।** यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है।
- **यह दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे स्थित है।**
- इसकी **कुल उत्पादन क्षमता लगभग 6,000 मेगावाट है,** जो लगभग 40 लाख घरों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी